रजिस्ट्री सं० डी०-(डी०)—78

REGISTERED NO. D-(D)—78

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY
28 NOV 1978

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 43] नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 28, 1978 (कार्तिक 6, 1900)
No. 43] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 28, 1978 (KARTIKA 6, 1900)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a Separate Compilation.

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खण्ड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	829
भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	1449
भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	17
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	1065
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	—
भाग II—खण्ड 2—विधेयक और विधेयकों संबंधी प्रवर समितियों की रिपोर्टें . .	—
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं) . . .	2389
भाग II—खण्ड 3—उप खण्ड (ii)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं . .	2931
भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश .	291-303
भाग III—खण्ड 1—महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च मंत्रालयों और भारत सरकार के अधीन तथा संलग्न कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं .	6347
भाग III—खण्ड 2—एकस्व कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिस	773
भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं	163
भाग III—खण्ड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विधिक अधिसूचनाएं जिनमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	1869
भाग IV—गैर सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिस .	177

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	829
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1449
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders, and Resolutions issued by the Ministry of Defence	17
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence	1065
PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations	—
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills	—
PART II—SECTION 3.—SUB. SEC. (i)—General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	2389
PART II—SECTION 3.—SUB. SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	2931
PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence ..	—
PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India ..	6347
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, Calcutta ..	773
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	163
PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	1869
PART IV—Advertisements and Notices by Private individuals and Private Bodies	177

भाग I—खण्ड 1
[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़ कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक

सं० वी-11011/1/78-यू० एम० (नीति)—इस मंत्रालय की 7 जनवरी, 1978 की अधिसूचना सं० वी-11011/13/77-यू० एम० (नीति) में, जिसमे केन्द्रीय परिवार कल्याण परिषद् का पुनर्गठन किया गया था, संशोधन करते हुए, भारत सरकार ने इस परिषद् मे मूल अधिसूचना के जारी होने की तारीख से 2 वर्ष तक की अवधि मे से जो अवधि शेष बची है, उसके लिए दो और सदस्यो को रखने का निर्णय किया है ।

2. अतः इस मंत्रालय की 7 जनवरी, 1978 की अधिसूचना सं वी-11011/13/78-यू० एस० (नीति) मे क्रम संख्या 46 के बाद निम्नलिखित नामो को जोड़ दिया जाए :—

क्रम सं० 47	श्रीमती लता खन्ना, सामाजिक कार्यकर्त्री और भूतपूर्व सदस्या, लखनऊ निगम, 27-दुर्गापुरी, लखनऊ ।
क्रम सं० 48	डा० पी० वी० एन० राजू, एफ० आर० सी०एस0, अध्यक्ष, रामगंज-मैडिकल कालेज, काकिनाडा, जिला पूर्व गोदावरी, आन्ध्र प्रदेश ।

क्रम स0 46 के बाद की संख्याएं तदनुसार क्रमबद्ध कर ली जाए ।

आर० नटराजन, संयुक्त सचिव

वित्त मन्त्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 28 सितम्बर, 1978

संकल्प

सं० ए० 11013/181/77-प्रशा०-4—भारत सरकार ने 'चीनी पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क में छूट देने सम्बन्धी योजना (पुनरीक्षण) समिति,' नाम की एक समिति नियुक्त करने का निर्णय किया है, जो चीनी पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क मे छूट देने सम्बन्धी योजना की इस दृष्टि से जांच करेगी कि उक्त योजना की उपयोगिता और क्षमता के बारे में आलोचनात्मक मूल्यांकन किया जा सके, और सरकार को उन उपायों के बारे में सलाह देगी जिनका प्रयोग योजना में निहित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया जा सके ।

2. समिति का गठन निम्नानुसार होगा —

अध्यक्ष	श्री जे० सी० सन्देसरा, प्रोफेसर, औद्योगिक अर्थशास्त्र, बम्बई विश्वविद्यालय, बम्बई ।
सदस्य	1 श्री जे० बैनर्जी, भूतपूर्व सदस्य, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड
	2 श्री एन० कृष्णन, भूतपूर्व मुख्य लागत लेखा अधिकारी, वित्त मंत्रालय

3 समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित है :—

(क) उत्पादन शुल्क मे छूट देने सम्बन्धी योजना के उद्देश्यों का पता लगाना और क्या ये उद्देश्य उक्त योजना के प्रवर्तन काल के दौरान पूरे हुए थे ;

(ख) यह निश्चित करना कि क्या उपर्युक्त उद्देश्यो को पूरा करने के लिए अपनाए गए उपाय पर्याप्त है या अत्यधिक हैं ;

(ग) इस बात की जांच करना कि क्या उत्पादन शुल्क मे छूट के बिना इन उद्देश्यो को पूरा किया जा सकता था ;

(घ) यह सलाह देना कि क्या इस योजना को चालू रखा जाना चाहिए और, यदि हां, तो किन संशोधनों के साथ ; और

(ङ) कोई अन्य सिफारिश करना जो इस मुद्दे से सम्बद्ध हो ।

4. समिति अपनी रिपोर्ट मार्च 1979 के अंत तक वित्त मंत्रालय को पेश कर देगी ।

आदेश

यह आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सभी सम्बन्धित को भेज दी जाए और इसे भारत के राजपत्र मे आम सूचना के लिए प्रकाशित किया जाए ।

संतोख सिंह भाटिया, उप सचिव

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, दिनांक 14 सितम्बर, 1978

स० ए० 11019/18/78-प्रशा०-4—इस विभाग के दिनांक 31 मई, 1978/10 ज्येष्ठ, 1900 (शक) के इस संख्या के संकल्प में

के स्थान पर	पढें
"5 श्री ए० के० भट्टाचार्य, संयुक्त निदेशक नैशनल टैस्ट हाउस, अलीपुर, कलकत्ता"	"श्री ई० के० रामाचन्द्रन, संयुक्त निदेशक नैशनल टैस्ट हाउस, अलीपुर, कलकत्ता"

आदेश

आदेश दिया जाता है कि शुद्धि पत्र की एक-एक प्रति सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को भेजी जाए और सामान्य जानकारी के लिए इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

रविदत्त शर्मा, अवर सचिव

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 20 सितम्बर 1978

सं० एफ० 23011/2/78-प्रशा०-1—भारत सरकार ने नियन्त्रण और राजसहायता समिति की अवधि को 31 दिसम्बर, 1978 तक बढ़ाने का निर्णय किया है। इस समिति का गठन वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग के 15 फरवरी, 1978 के संकल्प सं० एफ० 23011/2/78-प्रशा०-1 के द्वारा किया गया था।

ना० नटराजन, अवर सचिव

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय

(कृषि विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 29 सितम्बर 1978

संकल्प

सं० 14013/1/77-एफ० आर०—राजस्थान औद्योगिक खनिज विकास निगम, राजस्थान सरकार के अध्यक्ष श्री एम० एस० सदाशिवन के सेवानिवृत्त हो जाने के फलस्वरूप, राजस्थान सरकार के वित्तीय आयुक्त श्री मंगल बिहारी को, 'सूरतगढ़ फार्म पूंजी-निवेश मूल्यांकन समिति' के नाम से ज्ञात समिति के सदस्य के रूप में तत्काल से मनोनीत करने का निर्णय लिया गया है।

समिति के विचाराधीन विषय वही रहेंगे जो संकल्प सं० 11-33/68-एफ० आर० (खण्ड 2) दिनांक 31 जुलाई, 1976 में दिये गये थे।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति निम्नांकित व्यक्तियों को भेज दी जाए :—

(1) सभी राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र।

(2) लोक सभा सचिवालय।

(3) राज्य सभा सचिवालय।

(4) प्रधान मंत्री का कार्यालय।

(5) मंत्रिमंडल सचिवालय।

(6) न्यायमूर्ति जानकी नाथ भट्ट (सेवा निवृत्त), बी०-6/पम्पोश एन्क्लेव, नई दिल्ली।

(7) श्री आर० राजगोपालन, मुख्य लागत लेखा अधिकारी, वित्त मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

(8) श्री मंगल बिहारी वित्तीय आयुक्त राजस्थान सरकार, जयपुर।

(9) भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद्, नई दिल्ली।

(10) स्था० 1, 2, 3, 4, 5, 6 रोकड़ 1 अनुभाग, कृषि विभाग, नई दिल्ली।]

(11) सूचना अधिकारी, कृषि विभाग, नई दिल्ली।

(12) अध्यक्ष, भारतीय राज्य फार्म निगम, नई दिल्ली।

(13) निदेशक, केन्द्रीय राज्य फार्म सूरतगढ़/जैतसर (राजस्थान)।

(14) गार्ड फाइल।

यह भी आदेश दिया जाता है कि यह सकल्प सामान्य सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाए।

संकल्प

सं० 14013/1/77-एफ० आर०—भारत सरकार ने इस मंत्रालय के संकल्प सं० 11-33/68-एफ० आर० (खण्ड 2) दिनांक 31 जुलाई, 1976 के अनुसार गठित 'सूरतगढ़ फार्म पूंजीनिवेश मूल्यांकन समिति' द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समय सीमा को 31-10-1978 तक बढ़ाने का निर्णय किया है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति निम्नांकित व्यक्तियों को भेज दी जाए :—

(1) सभी राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र।

(2) लोक सभा सचिवालय।

(3) राज्य सभा सचिवालय।

(4) प्रधान मंत्री का कार्यालय।

(5) मंत्रिमण्डल सचिवालय।

(6) न्यायमूर्ति जानकीनाथ भट्ट, अध्यक्ष सूरतगढ़ फार्म पूंजीनिवेश मूल्यांकन समिति, विज्ञान भवन एनेक्स, नई दिल्ली।

(7) श्री आर० राजगोपालन, मुख्य लागत-लेखा अधिकारी, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, जीवन तारा बिल्डिंग, कमरा नं० 403, पार्लिया मेन्ट स्ट्रीट, नई दिल्ली।

(8) श्री मंगल बिहारी, वित्तीय आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।

(9) भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद्, कृषि भवन, नई दिल्ली।

(10) स्था० 1, 2, 3, 4, 5, 6 रोकड़ 1 अनुभाग, बजट लेखा अनुभाग, कृषि विभाग, नई दिल्ली।

(11) सूचना अधिकारी, कृषि विभाग, नई दिल्ली।

(12) अध्यक्ष, भारतीय राज्य फार्म निगम, बीज भवन, पूसा कम-प्लैक्स, नई दिल्ली।

(13) निदेशक, केन्द्रीय राज्यफार्म, सूरतगढ़/जैतसर (राजस्थान)।

(14) वेतन तथा लेखा अधिकारी (सचिवालय), कृषि और सिंचाई मंत्रालय (कृषि विभाग) नई दिल्ली।

यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प सामान्य सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाए।

आर० के० रथ, संयुक्त सचिव

उद्योग मन्त्रालय

औद्योगिक विकास विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 24 अगस्त, 1978

संकल्प

भारत सरकार 23 दिसम्बर, 1977 को संसद के समक्ष रखे गये औद्योगिक नीति विवरण में प्राकल्पित नये सामाजिक, आर्थिक कार्यक्रमों के संदर्भ में ग्राम तथा लघु उद्योगों के लिए समन्वित योजना बनाने तथा उनका विकास करने के कौशल के बारे में विचार करती रही है।

समाज के कमजोर वर्ग के लिये विशेष रूप से तथा अधिमानत ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध करने हेतु अभ्युपाय किये जा रहे हैं। प्रभावी ग्रा० औद्योगिकीकरण के लिये उठाये जाने वाले कदमों में से एक आवश्यक कदम औद्योगिक सहकारिता के अंतर्गत कर्मचारियों, कारीगरों तथा अन्य लोगों को लाना है, इससे सदस्यों में सहभागिता की भावना पैदा होगी और इस प्रकार न केवल परम्परागत उद्योग धन्धों जैसे ग्रामोद्योग, हथकरघा, दस्तकारी, रेशम-उद्योग तथा कमर के विकास को ही गति मिलेगी अपितु अन्य लघु उद्योगों को भी गति मिलेगी। इस प्रकार औद्योगिक सहकारिता आंदोलन से गावों के औद्योगिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया जाना अपेक्षित है।

2 यद्यपि कुछ वर्षों पूर्व ही औद्योगिक सहकारिता आंदोलन का सूत्रपात कर दिया गया था। धन के अभाव, प्रशिक्षित व्यक्तियों की कमी, अपर्याप्त विपणन सहायता आदि के कारण इसकी वृद्धि में अनेक बाधाएं उत्पन्न हुई हैं। आज के संदर्भ में आंदोलन को एक नई दिशा दिये जाने की जरूरत है ताकि स्थानीय ससाधनों के उपयोग से रोजगार के बृहत अवसर उत्पन्न करने हेतु कर्मचारियों तथा कारीगरों के हाथों में यह एक कुशल साधन बन सके।

3 यद्यपि इस समय देश के भिन्न-भिन्न संगठनों द्वारा इस आंदोलन को पुष्ट करने के प्रयास तथा आवश्यक निवेश की प्रदान करने की व्यवस्था की जा रही है सरकार को इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन करने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों को आवश्यक मार्गदर्शन तथा नेतृत्व प्रदान किये जाने की आवश्यकता का पता है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए तदनुसार भारत सरकार ने औद्योगिक सहकारी समितियों संबंधी एक स्थायी समिति की स्थापना की है जिसकी सदस्यता इस प्रकार होगी :

1.	श्रीमती आभा माईति, उद्योग राज्य मन्त्री, उद्योग मन्त्रालय, नई दिल्ली।	अध्यक्ष
2.	प्रभारी संयुक्त सचिव, ग्राम तथा लघु उद्योग, उद्योग मन्त्रालय, नई दिल्ली।	सदस्य
3.	प्रभारी संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास, कृषि एवं सिंचाई मन्त्रालय, नई दिल्ली।	सदस्य
4.	प्रभारी संयुक्त सचिव, ग्राम तथा लघु उद्योग, योजना आयोग, नई दिल्ली।	सदस्य
5.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग बम्बई।	सदस्य
6.	विकास आयुक्त, लघु उद्योग, नई दिल्ली।	सदस्य
7.	विकास आयुक्त, हथकरघा तथा उपाध्यक्ष, केन्द्रीय रेशम बोर्ड, नई दिल्ली।	सदस्य
8	विकास आयुक्त, (हस्तशिल्प), अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड, नई दिल्ली।	सदस्य
9	प्रबन्ध निदेशक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली।	सदस्य
10	अध्यक्ष, कपर बोर्ड, एरणाकुलम् (कोचीन)।	सदस्य
11	आयुक्त (आई० सी०), उद्योग मन्त्रालय, नई दिल्ली।	सयोजक संदस्य

4 स्थायी समिति के विचारार्थ विषय इस प्रकार है :—

(1) औद्योगिक सहकारी समितियों का विकास करने हेतु अखिल भारतीय बोर्डों/निदेशालयों की गतिविधियों का समन्वय करना ;

(2) औद्योगिक सहकारी समितियों के कार्यकरण के बारे में विशेष अध्ययन आयोजित करना तथा विशेष कमियों का जो इस आंदोलन के द्रुत प्रगति में आड़े आती है, पता लगाना ;

(3) ग्राम तथा लघु उद्योग क्षेत्र में औद्योगिक सहकारी समितियों का तेजी से विकास करने के लिये अभ्युपाय सुझाना ,

(4) अखिल भारतीय संगठनों, राज्य सरकारों आदि को औद्योगिक सहकारिता के कार्यक्रम का उचित कार्यान्वयन करने के लिये समय-समय पर मार्गदर्शी सिद्धांत जारी करना ; तथा

(5) सामान्यत: समस्त देश में औद्योगिक सरकारी आंदोलन की आयोजना तथा विकास-परक गतिविधियों का पर्यवेक्षण करना।

5. समिति को यथापेक्षित उपसमितियां नियुक्त करने तथा उन उपसमितियों को कुशलतापूर्वक कार्य करने व औद्योगिक सहकारिता की विशिष्ट समस्याओं से निपटने हेतु अन्य अभिकरणों से विशेषज्ञों को सहयोजित करने के लिये भी यथावश्यक रूप में शक्तियां प्रत्यायोजित करने के अधिकार मिले हुए हैं।

6 समिति की बैठकें समय-समय पर होती रहेंगी जो औद्योगिक सहकारी समितियों के विकास विषयक प्रगति की समीक्षा करेगी तथा वह यथा आवश्यक सरकार को उपचारात्मक उपायों के संबंध में अपने सुझाव देगी।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रतियां सभी सबंधितों को भेजी जायें।

एस० जे० कोयलो, संयुक्त सचिव

संचार मंत्रालय

(डाक तार बोर्ड)

नई दिल्ली 110001, दिनांक जुलाई 1978

सं० 23-3/77 एल० आई०—राष्ट्रपति एतद्द्वारा निदेश देते हैं कि डाक जीवन बीमा और सावधि बीमा संबंधी नियमों में तत्काल से ही निम्नलिखित संशोधन और किए जाए, अर्थात् :—

डाक जीवन बीमा और सावधि बीमा संबंधी नियमों के नियम 19 में टिप्पणी 10 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित की जाए,

"टिप्पणी 10—सरकार से सेवा-निवृत्त होने से पहले सेवा निवृत्त चिकित्सा अधिकारियों के पद का सत्यापन करने के बाद पोस्टमास्टर जनरल, डाक जीवन बीमा के मामलों की निम्नांकित सीमाओं तक जांच करने के लिए उक्त सेवा-निवृत्त चिकित्सा अधिकारियों को नियुक्त कर सकता है :—

(1) 30,000 रु० तक के बीमा के लिए	ऐसे सेवा-निवृत्त चिकित्सा अधिकारी जो उस समय सिविल सर्जन से छोटे पद पर न रहे हों।
(2) 9,999 रु० तक के बीमा के लिए	ऐसे सेवा निवृत्त चिकित्सा अधिकारी जो उस समय सिविल सर्जन से छोटे पद पर रहे हों लेकिन कम से कम एम० बी० बी० एस० हों।
(3) 2,000 रु० तक के बीमा के लिए	एल० एम० एम० एफ० योग्यता रखने वाले सेवा-निवृत्त चिकित्सा अधिकारी।

आ० कु० सिंह बल
उप महानिदेशक (पी० एल० आई०)

ऊर्जा मंत्रालय

(कोयला विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 5 अक्तूबर 1978

संकल्प

सं० ई० 11015/5/78-हिन्दी—ऊर्जा मंत्रालय (कोयला विभाग) के समसंख्यक संकल्प दिनांक 27-2-1978 के अनुक्रम में भारत सरकार ने ऊर्जा मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की सदस्यता में निम्नलिखित परिवर्तन/संशोधन करने का निश्चय किया है :—

संशोधन

श्री जमना लाल बेरवा के राज्य सभा की सदस्यता से निवृत्त हो जाने के कारण उनके स्थान पर राज्य सभा के अन्य सदस्य श्री ए० पी० शर्मा को "समिति" का सदस्य नियुक्त किया जाता है।

परिवर्तन

निम्नलिखित महानुभावों को समिति का सदस्य नियुक्त किया जाता है :—

(1) श्री गोपाल प्रसाद व्यास,

(2) डा० लक्ष्मी नारायण लाल;

(3) प्रो० कल्याण मल लोढा,

(4) श्री देवेन्द्र नाथ शर्मा;

(5) श्री भवानी प्रसाद मिश्र,

(6) श्री रमेश चौधरी "आरिगपूडि"।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य प्रदेशों के प्रशासकों, प्रधान मंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसदीय कार्य विभाग, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, योजना आयोग, राष्ट्रपति सचिवालय, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, महा लेखाकार वाणिज्य निर्माण और विविध, और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

राजेन्द्र पाल खोसला संयुक्त सचिव

(विद्युत विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 27 सितम्बर 1978

संकल्प

सं० 2/17/78 यू० एम० डी०-IV—भूतपूर्व सिंचाई और विद्युत मंत्रालय के संकल्प सं० ई० एल०-II 34/10/74, दिनांक 8 अप्रैल, 1974 के द्वारा महाअधीक्षक, बदरपुर ताप विद्युत् केन्द्र को उत्तरी क्षेत्रीय बिजली बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया गया था। बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र को राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा हाथ में ले लिए जाने से यह आवश्यक हो गया है कि राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम को बोर्ड के साथ सहयोजित किया जाए। यह निर्णय लिया गया है कि महाअधीक्षक, बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र के स्थान पर महा प्रबन्धक, बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र को तत्काल बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया जाए। इसी के अनुसरण में, उत्तरी क्षेत्रीय बिजली बोर्ड के संघटन से संबंधित समय-समय पर यथासंशोधित संकल्प सं० ई० एल०-II 35(3)/63, दिनांक 13 फरवरी, 1964 के पैरा दो को निम्नप्रकार से पुनर्गठित किया जाएगा :—

(1) जम्मू व काश्मीर सरकार के विद्युत विकास विभाग के आयुक्त तथा पदेन सचिव।

(2) अध्यक्ष, पंजाब राज्य बिजली बोर्ड।

(3) अध्यक्ष, राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड।

(4) अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड।

(5) अध्यक्ष, दिल्ली विद्युत प्रदाय समिति।

(6) अध्यक्ष, हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड।

(7) अध्यक्ष, भाखड़ा प्रबंध बोर्ड।

(8) अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड।

(9) मुख्य अभियन्ता, विद्युत कार्य के प्रभारी, चण्डीगढ़।

(10) महाप्रबन्धक, बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र (राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम), नई दिल्ली।

(11) परमाणु विद्युत प्राधिकरण का प्रतिनिधि।

(12) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण का प्रतिनिधि।

(13) सदस्य सचिव।

पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और काश्मीर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा भाखड़ा प्रबन्ध बोर्ड के सदस्य बारी-बारी से एक वर्ष की अवधि के लिए अध्यक्ष होंगे।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त संकल्प जम्मू और काश्मीर सरकार, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली विद्युत प्रदाय समिति, हरियाणा, भाखड़ा प्रबन्ध बोर्ड, हिमाचल प्रदेश, चण्डीगढ़, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, परमाणु विद्युत प्राधिकरण, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के प्रतिनिधि, सदस्य सचिव, भारत सरकार के मंत्रालयों, प्रधान मंत्री के कार्यालय राष्ट्रपति के सचिव, योजना आयोग तथा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को भेज दिये जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को आम सूचना के लिये भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाए।

पी० एम० बेलिअप्पा, संयुक्त सचिव,

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(DEPARTMENT OF FAMILY WELFARE)

New Delhi, the 28th September 1978

No. V. 11011/1[78-US (Ply).—In modification of this Ministry's Notification No. V. 11011/13/77-US (Ply) dated 7-1-1978 reconstituting the Central Family Welfare Council, the Government of India have decided to add two more members to the Council for the unexpired period of two years from the date of issue of the original Notification.

2. In this Ministry's Notification No. V. 11011/13/77-US (Ply) dated 7-1-1978, therefore, the following names may be added after Serial No. 46 :—

Serial No. 47 : Shrimati Lata Khanna,
Social Worker & Ex-Member,
Lucknow Corporation,
27, Durgapuri,
Lucknow.

Serial No. 48 : Dr. P. V. Raju, FRCS, Adhyaksh,
Ramganj Medical College,
Kakinada,
Distt. East Godavari, Andhra Pradesh.

3. Serial Nos. from 46 onwards wil be accordingly re-numbered.

ORDER

ORDERED that a copy of the Notification be communicated to all State Government/Union Territories and that the Notification may be published in the Gazette of India for general information.

R. NATARAJAN,
Joint Secy.

MINISTRY OF FINANCE

(DEPARRTMENT OF REVENUE)

New Delhi, the 28th September 1978

RESOLUTION

No. F. A. 11013/181/77-Ad. IV—The Government of India have decided to appoint a Committee to be known as 'Central Excise Sugar Rebate Scheme (Review) Committee' to examine the excise rebate scheme for sugar with a view to making a critical evaluation as to the utility and efficacy of the Scheme and to advise the Government on the measures which may be taken to achieve the objectives behind the scheme.

2. The composition of the Committee will be as under :

Chairman . . Shri J. C. Sandesara,
Professor,
Industrial Economics,
University of Bombay,
Bombay.

Members . . . 1. Shri J. Banerjee,
formerly Member,
Central Board of Excise and Customs

2. Shri N. Krishnan.
formerly Chief Cost Accounts Officer,
Ministry of Finance.

3. The following are the terms of reference of the Committee:—

(a) to identify the objectives behind the excise duty rebate scheme and whether these were achieved during the years in which it was in force:

(b) to determine whether the measures adopted for the above objectives are adequate or excessive:

(c) to examine whether these objectives could have been achieved without excise duty rebate:

(d) to advise whether the scheme should be continued and, if so, with what modifications: and

(e) to make any other recommendation which may be germane to this issue.

4. The Committee will submit its report to the Ministry of Finance (Department of Revenue) by the end of March, 1979.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all concerned and that it be published in the Gazette of India for general information.

SANTOKH SINGH BHATIA Dy. Secy.

New Delhi, the 14th September 1978

CORRIGENDUM

No. F. No. A. 11019/18/78-Ad. IV—In this Department's Resolution of even number dated 31st May 1978/10 Jyaistha 1900 (Saka):

for	read
"5. Shri A.K. Bhattacharya, Joint Director, National Test House, Alipore Calcutta."	"5. Shri E.K. Ramachandran Joint Director, National Test House, Calcutta"

ORDER

ORDERED that a copy of the Corrigendum be communicated to all concerned and that it be published in the Gazette of India for general information.

R. D. SHARMA, Under Secy

MINISTRY OF FINANCE

(DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)

New Delhi, the 20th September 1978

No. F. 23011/2/78-Admn.I.—The Government of India have decided to extend upto 31st December, 1978 the term of the Committee on Controls & Subsidies constituted *vide* Ministry of Finance, Department of Economic Affairs Resolution No. F. 23011/2/78-Admn.I, dated 15th February, 1978.

N. NATARAJAN, Under Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE & IRRIGATION

(DEPTT. OF AGRICULTURE)

New Delhi, the 29th September 1978

RESOLUTION

No. 14013/1/77-FR.—Consequent upon retirement of Shri M. S. Sadasivan, Chairman, Rajasthan Industrial Mineral Development Corporation, Rajasthan Government, it has been decided to nominate Shri Mangal Behari, Financial Commissioner, Rajasthan Government as a member of the Committee known as "Suratgarh Farm Investment Evaluation Committee" with immediate effect.

The terms of reference of the Committee will remain unchanged as contained in Resolution No. 11-33/68-FR (Vol. II) dated the 31st July, 1976.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution may be communicated to :—

1. All State Govts./Union Territories.
2. Lok Sabha Secretariat.
3. Rajya Sabha Secretariat.
4. Prime Minister's Office.
5. Cabinet Secretariat.
6. Justice J. N. Bhat (Retd.), B-6/Pomposh Enclave, New Delhi.
7. Shri R. Rajagopalan, Member, Chief Cost Accounts Officer, Ministry of Finance, Govt. of India, New Delhi.
8. Shri Mangal Behari, Financial Commissioner, Govt. of Rajasthan, Jaipur.
9. I.C.A.R., New Delhi.
10. stt. I, II, stt. III, Estt. IV, Estt. V, Estt. VI Sections, Deptt. of Agriculture.
11. Information Officer, Deptt. of Agri., New Delhi.
12. Chairman, SFCI, New Delhi.
13. Director, CSF, Suratgarh/Jetsar (Rajasthan).
14. Guard File.

ORDERED also that the Resilution be published in the Gazette of India for general information.

RESOLUTION

No. 14013/1/77-FR.—The Government of India have decided to extend the time limit for submission of its report by the 'Suratgarh Farm Investment Evaluation Committee' set up *vide* this Ministry's Resolution No. 11-33/68-FR (Vol. II), dated 31st July, 1976, upto 31st October 1978

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution may be communicated to —

1 All State Governments/Union Territories

2 Lok Sabha Secretariat

3 Rajya Sabha Secretariat

4 Prime Minister's Office

5 Cabinet Secretariat

6 Justice Janki Nath Bhat Chairman Suratgarh Farm Investment Evaluation Committee, Vigyan Bhavan Annexe, New Delhi

7 Shri R Rajagopalan, Chief Cost Accounts Officer, Ministry of Finance, Government of India, Jeevan Tara Building Room No 403 Parliament Street New Delhi

8 Shri Mangal Behari Financial Commissioner, Rajasthan, Jaipur

9 Indian Council of Agricultural Research Krishi Bhavan, New Delhi

10 E I E II, E III, E IV, E V, E, VI, Cash I Section, Budge Section & Budget Accounts Section Department of Agriculture, New Delhi

11 Information Officer Department of Agriculture New Delhi

12 Chairman State Farms Corporation of India, Beej Bhavan Pusa Instt Complex, New Delhi

13 Director, Central State Farm, Suratgarh/Jetsar (Raj)

14 Pay & Accounts Officer (Sectt) Ministry of Agriculture & Irrigation, (Deptt of Agriculture) New Delhi

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information

R K RATH Jt Secy

MINISTRY OF INDUSTRY

DEPTT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

New Delhi, the 24th August 1978

RESOLUTION

F No 6(32)/78 ICC —The Government of India have been considering the strategy for coordinated planning and development of village and small industries in the context of the new socio economic programmes envisaged in the Industrial Policy Statement laid before the Parliament on the 23rd December 1977 Measures are being taken to generate more employment opportunities specially for the weaker sections of the society preferably in the rural areas One of the steps necessary for significant rural industrialisation is the mobilisation of the workers artisans and others into the fold of industrial cooperatives that will inculcate in the members a sense of participation and, thereby provide the impetus required for developing not only the traditional vocations such as village industries handlooms, handicrafts agriculture & coir but also other small industries The industrial cooperative movement is, thus expected to play a vital role in the rural industrial development

2 Although the industrial cooperative movement was introduced some years back its growth has suffered a number of set backs due to paucity of funds lack of trained personnel insufficient marketing support etc The present context calls for a new orientation to the movement so that it transforms itself into an efficient instrument in the hands of the workers and artisans for the creation of extensive employment opportunities by utilisation of local resources

3 Though attempts are currently being made by different organisations in the country to nurture the movement and provide the necessary inputs, Government are aware of the need to give the necessary guidance and cadres to those responsible for implementing the programme With this end in view the Government of India have accordingly set up a Standing Committee on Industrial Cooperatives with the following membership —

1	Smt Abha Maiti, Ministry of State for Industry, Ministry of Industry, New Delhi	*Chairman*
2	Joint Secretary in Charge of Village & Small Industries, Ministry of Industry, New Delhi	*Member*
3	Joint Secretary in Charge, Rural Development, Ministry of Agriculture & Irrigation, New Delhi	*Member*
4	Joint Secretary-in charge, Village & Small Industries, Planning Commission, New Delhi	*Member*
5	Chief Executive Officer Khadi & Village Industries Commission, Bombay	*Member*
6	Development Commissioner, Small Scale Industries New Delhi	*Member*
7	Development Commissioner Handlooms and Vice-Chairman, Central Silk Board, New Delhi	*Member*
8	Development Commissioner, (Handicrafts) All India Handicrafts Board, New Delhi	*Member*
9	Managing Director, National Cooperative Development Corporation New Delhi	*Member*
10	Chairman, Coir Board Ernakulam, Cochin	
11	Commissioner (IC), Ministry of Industry, New Delhi	*Member Convenor*

4 The terms of reference of the Standing Committee are as follows —

1 To coordinate the activities of All India Boards/Directorates in the development of industrial cooperatives,

2 Organise special studies on the working of industrial cooperatives and identify specific drawbacks which stand in the way of quick progress of this movement,

3 Suggest measures for the vigorous growth of industrial cooperatives in the village and small industries sector,

4 Issue guidelines from time to time, to All India Organisation State Governments etc, for proper implementation of the programme of industrial cooperation, and,

5 In general, oversee planning and developmental activities in the industrial cooperative movement throughout the country

5 The Committee is empowered to appoint Sub Committees as required and delegate to them such of the powers as may be required for their efficient functioning and to co-opt specialists from other agencies for dealing with specific problems of industrial cooperation

6 The Committee shall meet periodically and review the progress of the growth of the industrial cooperatives and suggest to Government remedial measures as may appear necessary

ORDER

ORDERED that the Resolution shall be published in the Gazette of India

ORDERED also that copies of the Resolution shall be sent to all concerned

S J COELHO, Jt Secy

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(P & T BOARD)

New Delhi-110001, the 17th August 1978

No 22 3 77 I I —The President hereby directs that, with immediate effect, the following further amendments shall be made in the rules relating to the Postal Life Insurance and Endowment Assurance, namely —

In rule 19 of the rules relating to the Postal Life Insurance and Endowment Assurance, for Note 10, the following Note shall be substituted, namely —

Note 10 —The Postmaster General may after verification of the status of retired medical officers before retirement from the Government, appoint the said retirement medical officers for examining Postal Life Insurance cases upto the limits indicated below —

(i) For insurance upto Rs 30,000/-	Retired medical officers who had held a status not lower than that of the Civil Surgeon
(ii) For insurance upto Rs 9,999/-	Retired medical officers who had held a status lower than that of the Civil Surgeon, but who is at least an M B B S
(iii) For insurance upto Rs 2,000/-	Retired medical officers with L S M F qualification.'

A K S BAL Dy Director General (PLI)

MINISTRY OF ENERGY

(DEPARTMENT OF COAL)

New Delhi the 5th October 1978

RESOLUTION

No C-11015/5/78 Hindi —In continuation of Ministry of Energy (Department of Coal) Resolution of even No dated 27th February 1978, the Government of India have decided to make following substitution/additions in the membership of the Hindi Salahkar Samiti of the Ministry of Energy —

Substitution

Since Shri Jamna Lal Berwa has retired from the Rajya Sabha, Shri A P Sharma Member, Rajya Sabha, has been appointed member of Samiti in his place

Additions

Following persons have been appointed members of the Samiti —

1 Shri Gopal Prasad Vyas

2 Dr Lakshmi Narayana Lal

3 Prof Kalyan Mal Lodha

4 Shri Devendra Nath Sharma

5 Shri Bhawani Prasad Misra

6. Shri Ramesh Chowdhary 'Aingpuh'

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to all State Governments and Union Territory Administrations, Prime Minister's Office, Rajya Sabha Secretariat, Cabinet Secretariat, Department of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Planning Commission, President's Secretariat, Comptroller and Auditor General of India, Accountant General Commerce Works and Miscellaneous and all Ministries and Departments of the Government of India

ORDERED also that Resolution be published in the Gazette of India for general information

R. P. KHOSLA, Jt Secy

DEPARTMENT OF POWER

New Delhi, the 27th September 1978

RESOLUTION

No 2/17/78 UBU IV( ) —Vide the erstwhile Ministry of Irrigation and Power Resolution No EL II 34/10/74 dated the 8th April 1974 the General Superintendent, Badarpur Thermal Power Station was appointed as Member of the Northern Regional Electricity Board On the taking over of Badarpur Thermal Power Station by National Thermal Power Corporation, it has become necessary to associate the National Thermal Power Corporation with the Board It has been decided to appoint General Manager Badarpur Thermal Power Station as a member of the Board in place of General Superintendent Badarpur Thermal Power Station with immediate effect In pursuance thereof, Para II of the resolution No EL II 35(3)/63 dated 13th February, 1964 relating to the composition of Northern Regional Electricity Board as amended from time to time shall be reconstituted as follows —

(i) The Commissioner for Power Development Department and Ex Officio Secretary to the Government of Jammu and Kashmir

(ii) The Chairman, Punjab State Electricity Board

(iii) The Chairman, Rajasthan State Electricity Board

(iv) The Chairman, U P, State Electricity Board

(v) The Chairman, Delhi Electric Supply Committee

(vi) The Chairman Haryana State Electricity Board

(vii) The Chairman, Bhakra Management Board

(viii) The Chairman, Himachal Pradesh State Electricity Board

(ix) The Chief Engineer, Incharge of Electricity Works, Chandigarh

(x) The General Manager, Badarpur Thermal Power Station (NTPC), New Delhi

(xi) A representative of Atomic Power Authority

(xii) A representative of the C E A.

(xiii) The Member Secretary

The Members from Punjab, Delhi, Haryana, Himachal Pradesh Jammu & Kashmir, Rajasthan, Uttar Pradesh and Bhakra Management Board shall be the Chairman for a period of one year each by rotation

ORDER

ORDERED that the above Resolution be communicated to the Government of Jammu & Kashmir, Punjab Rajasthan, Uttar Pradesh Delhi Electric Supply Committee Haryana Bhakra Management Board, Himachal Pradesh, Chandigarh, National Thermal Power Corporation Atomic Power Authority Representative of CEA, Member Secretary, the Ministries of the Government of India the Prime Minister's Office the Secretary to the President the Planning Commission and the Comptroller and Auditor General of India

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for General Information

P M BELLIAPPA, Jt Secy

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1978